उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

आदेश

कन्फिस्केशन वाद संख्या–36 / 2020

राज्य बनाम सुशील शर्मा।

05/01/2021

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार अधोहस्ताक्षरी आदेश पत्रांक–425 / एम0 कोडरमा दिनांक 13.06.2020 के आलोक में दिनांक 06.07.2020 को समय 2:30 बजे से 4:00 बजे अपराहन् तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा की अध्यक्षता में गठित समिति जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा, राज्य कर उपायुक्त, कोडरमा एवं पुलिस बल द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत कोडरमा अंचल अन्तर्गत तिलैया थाना के गझंडी रोड महतोआरा स्थित माईका गोदाम का औचक निरीक्षण हेतु पहुँचा गया। जाँच दल के स्थल पर पहुँचने पर पाया गया कि उक्त गोदाम में ताला लगा है, जिसके कारण उक्त गोदाम का निरीक्षण एवं भंडारित खनिज का आंकलन नहीं किया जा सका एवं गोदाम को सील करते हुए जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक–465 / एम0 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उक्त गोदाम के मालिक श्री सुशील शर्मा, पता–शिव शक्ति नगर, गौशाला रोड, थाना–तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा को नोटिस निर्गत किया गया।

पुनः उक्त गोदाम के मालिक श्री सुशील शर्मा से संपर्क स्थापित कर दिनांक 11.08.2020 को समय लगभग 14:00 बजे अपराहन् में सील गोदाम को खोलते हुए श्री सुशील शर्मा के पुत्र श्री चेतन शर्मा के समक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं खान निरीक्षक, जिला खनन् कार्यालय, कोडरमा द्वारा उक्त गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में गोदाम में माईका लगभग 230 टन एवं माईका 320 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा) भंडारित पाया गया। उक्त गोदाम में श्री चेतन शर्मा, पिता–श्री सुशील शर्मा, पता–शिव शक्ति नगर, गौशाला रोड, थाना–तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा उपस्थित थे। भंडारित खनिज माईका के संबंध में गोदाम के मालिक श्री सुशील शर्मा के पुत्र चेतन शर्मा द्वारा खनिज की वैधता के संबंध में कागजात तथा भंडारण अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अन्य कागजात प्रस्तुत किया गया। स्थल पर भंडारित खनिज को जब्त कर लाना सम्भव नहीं होने के कारण उक्त खनिज को Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (i) के अनुसार जब्त करते हुए नियम–11 (iv) के अनुसार वही जब्ती सूचि बनाकर श्री चेतन शर्मा, पिता–सुशील शर्मा, पता–शिव शक्ति नगर, गौशाला रोड, थाना–तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा को सुरक्षा हेतु जिम्मा दिया गया एवं उक्त माईका (अभ्रक) गोदाम को पुनः सील कर दिया गया।

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार उनके कार्यालय अभिलेख में सुशील शर्मा, पता–शिव शक्ति नगर, गौशाला रोड, थाना–तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा को खान एवं भूतत्व विभाग / जिला खनन् कार्यालय, कोडरमा द्वारा कोई खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है।

Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (v) के आलोक में राज्यसात की कारवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी सुशील शर्मा के द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जो निम्न प्रकार है :–

That the present confiscation case has been initiated at the instance of District Mining Officer, Koderma under the above noted section whereby the learned Court has been pleased to issue show-cause notice as to why the Mica about 230 Tonnes and Mica 320 bags of Mica (Each bag containing 50 k.g.) were found stored in the premises of godown of the respondent be not confiscated.

That the respondent is shocked and surprised at the initiation of the present Confiscation proceeding by the District Mining Officer, Koderma because seizure of Mica/ Dhibra is illegal and

without the authority of law. The firm of the respondent is registered in the name of Jai Mata Jee Industry, Traders and Exporters of Mica.

That as per notice, the raiding party constituted under the chairmanship of Civil S.D.O.. Koderma and committee consisting of Mines Inspector, Koderma, inspected the godown of the respondent and found about 230 Tonnes and Mica 320 bags of Mica (Each bag containing 50 k.g.)and upon the report of the District Mining Officer, Koderma confiscation proceeding was initiated.

That the recovered articles from the godown of the respondent are not minerals and the authority has illegally seized the same and has illegally kept in the premises of the respondent because Rule 12 provides "The competent Officer shall keep the seized materials under the custody of an institution belonging to the Government or any responsible officer of the Government as far as possible." But the seizing authority has not removed or kept it in any institution belonging to the Government, the respondent cannot be deemed as caretaker of the seized Mica product. The premises of the Respondent is not hired by the Government or the District Mining Officer, so handing over the custody of seized articles to the respondent is also illegal.

राज्य की ओर से जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थिति होकर विषयांकित वाद में अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोडरमा जिला अन्तर्गत माईका खनिज का खनन पट्टा नहीं है। माईका एक लघु खनिज है। विपक्षी के पास Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के आलोक में खनिज के कारोबार करने हेतु आवश्यक स्टॉक लाईसेन्स नही है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा भण्डारित खनिज के राज्यसात नहीं किये जाने के संबंध में तथा जब्त भण्डारित खनिज के संबंध में पर्याप्त वैध साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्ष के सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुशील शर्मा, पता–शिव शक्ति नगर, गौशाला रोड, थाना–तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 का उल्लंघन कर माईका का भण्डारण किया जा रहा था।

अतः Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (v) के आलोक में सभी भण्डारित खनिज को राज्यसात करने का आदेश जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा को दिया जाता है। राज्यसात किये गये भण्डारित खनिज की निलामी हेतु जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा पूर्व में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा राज्यसात किये गए खनिज का JSMDCL के माध्यम से निलामी कराने के दिशा–निर्देश/निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करेंगे। कोडरमा अंचल अन्तर्गत तिलैया थाना के गझंडी रोड महतोआरा स्थित माईका गोदाम परिसर जो सील किया गया है, उसको खोलने का निदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विपक्षी माईका का कारोबार करने हेतु आवश्यक सभी प्रकार के लाईसेन्स/अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करने के उपरांत हीं वहां पर कारोबार करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा अपने टीम के साथ परिसर को सीलमुक्त करने वक्त पूर्व में जिम्मेनामे पर दिये गए भंडार का जॉच कर JSMDCL के द्वारा निलामी होने तक जब्त स्टॉक सुरक्षित रहे इस हेतु आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त

कोडरमा।